

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल
लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन

SyndBank Services Limited
Registered Office: Manipal

AUDITOR'S REPORT

सेवा में

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के शेयरधारक:

1. हमने, 31 मार्च, 2010 के सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, मणिपाल के संलग्न तुलन-पत्र और उससे उपाबद्ध, उक्त तारीख को समाप्त अवधि की लाभ व हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधक वर्ग की प्रमुख जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने अपनी लेखा परीक्षा कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाए कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गयी राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।
3. भारत के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप-धारा 4 (क) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2004 (आदेश के साथ) द्वारा यथा संशोधित और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच जिसे हम उचित समझते हैं, के आधार पर और हमको प्रस्तुत सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों के विवरण इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।
4. उपर्युक्त अनुच्छेद (3) में संदर्भित अनुबंध में दी गयी हमारी टिप्पणी के सिलसिले में हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।
 - ii) कंपनी की लेखा बहियों की जांच करने पर यह पता चला है कि कंपनी ने बहियों का विधिवत् रख-रखाव किया है।
 - iii) इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा-बहियों के साथ मेल खाते हैं।
 - iv) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में दर्शाए गए लाभ व हानि लेखा तथा तुलन-पत्र, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3 ग) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - v) दि. 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए लिखित अभ्यावेदनों के

TO THE MEMBERS OF **SYNDBANK SERVICES LTD.**

1. We have audited the attached Balance Sheet of **SYNDBANK SERVICES LIMITED.**, as at 31st March 2010 and also the Profit and Loss Account & Cash Flow Statement of the Company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 as amended by the companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004 (together the 'Order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of the Section 227 of the Companies Act, 1956, of India (the 'Act') and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to information and explanations given to us, we give in the annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the Order.
4. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph (3) above, we state that:
 - i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books.
 - iii) The Balance Sheet, Profit and Loss account & Cash Flow Statement referred to in this report are in agreement with the books of account.
 - iv) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956.
 - v) On the basis of the written representations received from the Directors, as on 31st March 2010 and taken on record by the Board of

आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त करने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों तथा उस पर दी गयी और उसके साथ संलग्न की गयी टिप्पणियां कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी देती है और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार एक सही और सत्य चित्र दर्शाती है:

- i) तुलन-पत्र के मामले में, दि. 31-03-2010 के अनुसार कंपनी के कार्य संचालन।
- ii) लाभ व हानि लेखे के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ और
- iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह।

कृते शब्बीर एण्ड गणेश
सनदी लेखाकार

ह/-
(सी ए गणेश वाइ.)
साझेदार

सदस्यता संख्या: 207231

Directors, we report that none of the Directors are disqualified as on 31st March, 2010 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements together with the notes thereon and attached thereto give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2010;
- ii) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date.
- iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

For **Shabbir and Ganesh**
Chartered Accountants

Sd/-
(**CA Ganesh Y.**)

Partner

Membership No. 207231

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 15-04-2010

Place: Bangalore
Date : 15-04-2010

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध:

संदर्भ: सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में

- i) (क) कंपनी ने उचित अभिलेखों का रख-रखाव किया है, जिसमें उन्होंने अचल संपत्तियों के परिमाणगतक ब्यौरे एवं अवस्थिति समेत संपूर्ण विवरण दर्शाया है।
(ख) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम तैयार किया है जिसके जरिये कंपनी की सभी आस्तियों का सत्यापन किया जाएगा, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसकी आस्तियों की दृष्टि से समुचित है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान सत्यापन करने पर बही-अभिलेखों के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी है।
(ग) अचल संपत्तियों के पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया गया है।
- ii) कंपनी कोई माल सूची नहीं रखती है, इसलिए अनुच्छेद 4 (ii) (क) से (ग) लागू नहीं होता।
- iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है, चाहे जमानती हो या बेजमानती। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 4 (iii) (क) से (घ) लागू नहीं होता।
- iv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी भी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण, चाहे वे जमानती हो या बेजमानती, उपलब्ध नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 4 (iii) (ड) से (छ) लागू नहीं होते।
- v) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास एक ऐसी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो कंपनी के आकार तथा अचल आस्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमने, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं पायी है।
- vi) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता हो।
- vii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 क और 58 क क के उपबंध एवं तदंतर्गत नियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
- viii) हमारी राय में कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप है।
- ix) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के परिचालन के संबंध में, केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने की शर्त नहीं लगाई है।
- x) क) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उपकर सहित सभी अविवादित देय राशियों एवं उस पर लागू होनेवाली अन्य सांविधिक देय राशियों को उचित प्राधिकारियों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा की है।

Annexure to the Auditor's Report:

Re: SYNDBANK SERVICES LIMITED

Referred to in paragraph 3 of our report of even date.

- i) (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.
(b) According to the information and explanations given to us, the Company has formulated a regular programme of verification by which all the assets of the Company shall be verified, which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. To the best of our knowledge, no material discrepancies were noticed on verification conducted during the year as compared with the book records.
(c) There was no disposal of a substantial part of fixed assets.
- ii) The Company does not have any Inventory and hence paragraph 4(ii)(a) to (c) are not applicable.
- iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to any Company, firm and other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, paragraph 4 (iii) (a) to (d) of the order are not applicable.
- iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loans, secured or unsecured, from any Company, firm and other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act 1956. Accordingly, paragraph 4 (iii) (e) to (g) of the order are not applicable.
- v) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there exists an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchases of fixed assets and with regard to the sale of services. During the course of our audit, we have not observed any major weakness in the internal control system of the Company.
- vi) In our opinion and according to the explanations given to us, there is no transaction that needs to be entered into the register in pursuance of Section 301 of the Companies Act, 1956.
- vii) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted deposits from the public during the year covered by our audit report. Therefore the provisions of Section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956 and rules there under are not applicable to the company.
- viii) In our opinion, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- ix) According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 with regard to the company's operation.
- x) a) According to the information and explanations provided to us, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, income tax, service tax, cess and other statutory dues, applicable to it.

- ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, सेवा कर के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि दि. 31 मार्च, 2010 को, उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि तक बकाया नहीं थी।
- ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों की अनुसार उन आय कर, सेवा कर और उपकर कोई भी राशि देय नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण से जमा नहीं किया गया हो।
- x) कंपनी के पास कोई संचित हानि नहीं है और हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है।
- xii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों को देय-राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।
- xiii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किया है।
- xiv) हमारी राय में, कंपनी एक चिट फंड, या निधि/पारस्परिक लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर आदेश का खण्ड 4 (xiii) लागू नहीं होता है।
- xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों और डिबेंचरों में लेन-देन नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खण्ड 4 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- xvi) कंपनी ने अन्यो द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
- xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है।
- xviii) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर जुटाई गयी निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया है।
- xix) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी गयी पंजी में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।
- xx) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने हमारी रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान कोई जमानती डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खण्ड (xix) लागू नहीं होता।
- xxi) हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
- xxii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित अवधि के दौरान कंपनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं की गयी है।
- b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of Income tax, Service tax were in arrears, as at 31st March 2010 for a period of more than six months from the date they became payable.
- c) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Income Tax, Service tax and cess which have not been deposited on account of any dispute.
- x) The company does not have accumulated losses and has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.
- xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions, banks or debentures holders.
- xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- xiv) In our opinion, the Company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society. Therefore, the provisions of clause 4(xiii) of the Order are not applicable to the Company.
- xv) According to the information and explanations given to us, the Company is not dealing in shares, securities and debentures. Therefore, the provisions of clause 4(xiv) of the Order are not applicable to the Company.
- xvi) The Company has not given any guarantee in connection with loans taken by others.
- xvii) The Company has not obtained any term loans during the year.
- xviii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term investment.
- xix) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
- xx) According to the information and explanations given to us, the Company has not issued any secured debentures during the period covered by our report. Accordingly, the provisions of clause (xix) of the Order are not applicable to the Company.
- xxi) During the period covered by our audit report, the Company has not raised any money by way of public issue.
- xxii) To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit.

कृते शब्बीर एण्ड गणेश
सनदी लेखाकार

ह/-

(सीए गणेश वाइ.)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 207231

For **Shabbir and Ganesh**
Chartered Accountants

Sd/-

(**CA Ganesh Y.**)

Partner

Membership No.: 207231

स्थान : बेंगलूर

दिनांक : 15-04-2010

Place: Bangalore
Date : 15-04-2010

**सिंडबैंक सर्विसेज लि. के 31 मार्च, 2010
को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम,
1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत का
नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

सिंडबैंक सर्विसेज लि., के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधक वर्ग की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक उनके व्यावसायिक संगठन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, दिल्ली द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानका के अनुसार, स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वितरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। दिनांक 15-04-2010 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि यह कार्य उनके द्वारा किया गया है।

मैंने भारतीय नियंत्रक और लेखा परीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है और मुझे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

भारत का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

ह/-

(सी. एच. खारसिंग, आइएएस)

मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, बेंगलूर

बेंगलूर
दिनांक : 20 अप्रैल 2010

**Comments of the Comptroller and
Auditor General of India Under Section
619(4) of the Companies Act, 1956 on the
Accounts of SyndBank Services Limited
for the year Ended 31st March, 2010**

The preparation of financial statements of SyndBank Services Limited for the year ended 31st March 2010 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15-04-2010.

I on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of SyndBank Services Limited, Bangalore for the year ended 31st March, 2009. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. In view of the revisions made in the Auditor's Report as a result of my audit observations highlighted during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the Statutory Auditors' Report, under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(C. H. Kharsingh, I.A.A.S.)

Bangalore
Dated: 20 April, 2010

Pr. Director of Commercial Audit
and ex-officio Member,
Audit Board, Bangalore